



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: [innovation.ccerai@gmail.com](mailto:innovation.ccerai@gmail.com) Phone: 0141-2706847 (O);

पत्रांक: CCE/P&C/ISDC/AAP/2019/1119

Date: 22<sup>nd</sup> August 2019

कार्यालय आदेश

राज्य के राजकीय महाविद्यालयों का वार्षिक मूल्यांकन एवं श्रेणी सुधार के लिये व्यवस्थित प्रयास आरम्भ करने हेतु बजट घोषणा (फरवरी 2019) में यथा घोषित Annual Auditing Programme (AAP)/ College Assessment Programme (CAP) कार्यक्रम के बारे में विभिन्न अवसरों के माध्यम से महाविद्यालयों को सूचित किया जाता रहा है। इस संबंध में प्रथम चरण के मंथन उपरान्त प्राप्त सुझावों के आधार पर मूल्यांकन फॉर्मेट्स के अन्तिमिकरण हेतु अधिकारियों/प्राचार्यों/संकाय सदस्यों की आवश्यक बैठक दिनांक 30 अगस्त 2019 को प्रातः 10.30 बजे मंथन सभागार, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर में आयोजित की जा रही है। इसमें निम्न प्राचार्य/संकाय सदस्यों को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है -


- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Principal            | : SPC Govt. College, Ajmer                   |
| 2. Principal            | : Govt. Dungar College Bikaner               |
| 3. Principal            | : Govt. MSJ College Bharatpur                |
| 4. Principal            | : Govt. Science College Kota                 |
| 5. Principal            | : Meera Girls College Udaipur                |
| 6. Principal            | : Govt. College Jodhpur                      |
| 7. Principal            | : Govt. Science College Sikar                |
| 8. Principal            | : LBS Govt. College Kotputli, Jaipur         |
| 9. Principal            | : Govt. College, Jaipur                      |
| 10. Principal           | : Govt. Lohia College Churu                  |
| 11. Principal           | : BSR Govt. College Alwar                    |
| 12. Principal           | : MP Govt. College Chittorgarh               |
| 13. Principal           | : Govt. College Jaisalmer                    |
| 14. Dr. K.-S. Sharma    | : Asso. Prof., Govt. Arts College Dausa      |
| 15. Dr. Mukesh Kumar    | : Asso. Prof., Govt. MSJ College Bharatpur   |
| 16. Dr. Dilip Rathore   | : Assist. Prof. Govt. College Bundi          |
| 17. Dr. Narendra Gupta  | : Assist. Prof. MP Govt. College Chittorgarh |
| 18. Dr. Anil Khandelwal | : Asso. Prof., PNKS Govt. College Dausa      |
| 19. Dr. Sameer Sharma   | : Asso. Prof., Govt. College Sawai Madhopur  |

इस संबंध में लेख है कि -

1. यह एक अतिआवश्यक बैठक है जिसमें सभी आमंत्रित प्राचार्यों/संकाय सदस्यों की व्यक्तिशः उपस्थिति अनिवार्य है। अतः प्राचार्य किसी अन्य को नामित नहीं करेंगे बल्कि स्वयं उपस्थित होंगे।
2. इस बैठक में कॉलेज मूल्यांकन से संबंधित विमर्श किया जाना है। अतः इस संबंध में चिन्तन-मंथन करके इस बैठक में पधारें कि कॉलेज के समग्र मूल्यांकन के अधिकाधिक आधार एवं उनकी स्केलिंग व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है।
3. इस योजना के अगले चरण में राज्य स्तरीय निरीक्षण दलों का गठन किया जाना है, जिसके लिये भी सभी सहभागियों से चर्चा की जायेगी।

4. सीमित स्थान उपलब्धता के कारण इस बैठक में आमंत्रित प्राचार्यों/संकाय सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी की उपस्थिति की अनुमति नहीं है।
5. सभी आमंत्रित गण निर्दिष्ट समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी हेतु डॉ. विनोद कुमार भारद्वाज, प्रभारी, नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को मोबाइल नम्बर 9414304650 अथवा उक्त ई-मेल पर सम्पर्क कर सकते हैं।



प्रदीप कुमार बोरड, IAS  
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, एवं  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान

पत्रांक: CCE/P&C/ISDC/AAP/2019/1120-21; Date: 22<sup>nd</sup> August 2019

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
5. डा. विनोद कुमार भारद्वाज, प्रभारी, नवाचार एवं कौशल विकास, आकाशि को इस बैठक के समन्वय हेतु।
6. वैब प्रभारी को आकाशि की वैबसाइट पर अपलोड/संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।



आयुक्त, कॉलेज शिक्षा